

>

Title : Need to stop recovery of debt from the farmers of Hatkanangle Parliamentary Constituency, Maharashtra by Kholhapur District Central Co-operative Bank.

**श्री गजू शेषी (छातकंगले):** केंद्र सरकार ने 2008 की कृषि ऋण माफि रकीम के तहत पांच एकड़ के नीचे वाले किसानों के लिए ऋणों का पूरा बकाया माफ किया था। यह योजना लागू करते समय किसी भी ढंग का सुनिश्चित स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। पांच एकड़ के नीचे वाले बकायादार किसान कर्जमुक्त हुए ऐसे सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रिवट सेंट्रल बैंक/सेवा सोसायटी द्वारा किसानों को वितरित किये गए थे। लेकिन आज नाबांड ने ऋण वसूली का प्रोग्राम किसानों के पीछे तगा दिया है और वजह यही बनाई है कि नार्मत क्रैडिट लिमिट से ज्यादा ऋण उठाया गया है या वितरित किया गया है। मेरे चुनाव क्षेत्र छातकंगले में कोल्हापुर डिस्ट्रिवट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने करीब रुपये 112.89 करोड़ की राशि संबंधित लाभ धारकों से (किसानों से) रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया है। यह सरासर केंद्र सरकार के ऋण माफि योजना के डायरेक्शन के लिये विवाद रखता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के वित मंत्रालय ने घरतक्षेप करके रिकवरी प्रक्रिया तुंत रुकवाने की निरांत आवश्यकता है।